



कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 4707/12-1, हरिद्वार दिनांक 26 मई, 2023



सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0),
सहपरियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
मकान नं०-181, शास्त्रीपुरम, नियर होटल, गोदावरी,
रुड़की, उत्तराखण्ड (247667)

विषय :-

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली- सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम हरगोवा) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम आतमलपुर-बाँगला) तक 6लेन अभिगम नियन्त्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत विकास के किमी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/147686/2021)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8वी/यू०सी०पी०/०६/४७/२०२२/FC/82, दिनांक 24.04.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार "Density Mentioned in Part II Para 4 and in NPV, Sheet is 0.5 However, NPV rate have been charged for Open Forest. State Governemnt is requested to calculate the rate as per the Density Provided and deposit the balance amount in campa Head".

ऑनलाईन पोर्टल में भाग II के पैरा 4 में खुले वन के अनुसार NPV की धनराशि का आंकलन कर अपलोड किया गया था, जबकि उक्त क्षेत्र का घनत्व 0.5 प्रस्ताव में अंकित था। इस कार्यालय द्वारा त्रुटिवश कम घनत्व के अनुसार ही एन०पी०वी० की धनराशि आंकलित की गई थी। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण आंकलित की गई धनराशि के अनुसार ही आपके द्वारा कैम्पा निधि में धनराशि जमा की गई थी।

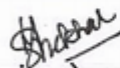
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वास्तविक धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

प्रभावित वन क्षेत्र 1.6535 है०, एन०पी०वी० की धनराशि दर @ 1228590/- = 2031474.00

आपके द्वारा जमा की गई धनराशि 1.6535 है० @ 957780/- = 1583689.00

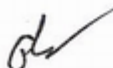
अतः प्रकरण में वर्तमान में रू० 447785/- (चार लाख सैंतालीस हजार सात सौ पिच्चासी) मात्र की अतिरिक्त धनराशि को कैम्पा निधि के खाते में चालान के माध्यम से जमा करें एवं जमा की गई धनराशि की पुष्टि कर चालान की प्रति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात ही प्रकरण में इस स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी।

भवदीय


(मयंक शेखर झा)

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

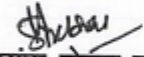
Letter



पत्रांक 4707/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोठल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार